रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1994/अग्रहायण 3, 1916
No. 585] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1994/AGRAHAYANA 3, 1916

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1994

का.आ. 842(अ).—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिये गेल टर्मिनल पिपरोला से बी.ए.क. लि. तक गैस पाईप लाईन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पैट्रोलियम एवं खनिज पाईपलाईन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड-3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि., एच.बी.जे. अप-ग्रेडेशन गैस पाईप लाईन प्राजेक्ट, पी.डी.आई.एल. बिल्डिंग, ए-14, सैक्टर-1, नॉएडा, गाजियाबाद (उ.प्र.) में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

वाद-अनुसूची

एच.बी.जे. अपग्रेडेशन पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़ हैक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	जमौर	पिपरौला-अहमदपुर	27	0.0820	
				29	0.0488	
				55	0.1288	
				26	0.0316	
				25	0.0008	
				24	0.0010	
				23	0.0648	
				22	0.0360	
				56	0.0387	
				9	0.4325	हैक्टेअर
				या	1.0687	
				या	1-14-4	बीघा

[सं. एल-14016/13/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सैन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1994

S.O. 842(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from GAIL TERMINAL AT PIPROLA to M/S. B.A.C. LTD., a Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., P.D.I.L. Building, A-14, Sector-1 Noida, Ghaziabad, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

CASE SCHEDULE

H.B.J. UPGRADATION PIPE LINE PROJECT

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jamaur	Piprola-Alinadpur	27	0.0820	
				29	0.0488	
				55	0.1288	
				26	0.0316	
				25	0.0008	
				24	0.0010	
				23	0.0648	
				22	0.0360	
				56	0.0387	
				9	0.4325 Hectare	
				OR	1.0687 Acres	
				OR	1 14-4 Bigha	

[No. L-14016/13/94-GP]

ARDHENDU SEN, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994